



भारतीय रिज़र्व बैंक,
संपदा विभाग
पटना।

वेब नोटिस

जनवरी 07, 2026

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त – आरबीआई, पटना के मुख्य कार्यालय भवन और एनेक्स भवन के लिए इंटेलिजेंट एनालॉग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) का कार्य

ई-निविदा क्रमांक: [आरबीआई/पटना क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/19/25-26/ईटी/723 \[फायर अलार्म सिस्टम का एसआईटीसी\]](#)

उपर्युक्त निविदा के लिए संभावित बोलीदाताओं के किन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने हेतु बोली-पूर्व बैठक निर्धारित समय के अनुसार 24 दिसम्बर 2025 को सांय 5.00 बजे संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में आयोजित की गई।

2. बोली-पूर्व बैठक में पूछे गए प्रश्न और बैंक का स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	खण्ड	फर्म के प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए प्रश्न	बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
1	खण्ड सं. 15	<p>निविदा (tender) को आंशिक रूप से कई वेंडरों को आवंटित करने से इंटरफेस और समन्वय संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से फायर डिटेक्शन और अलार्म (FDA) जैसे एकीकृत सिस्टम के लिए, जहाँ उपकरणों, केबलिंग, प्रोग्रामिंग, परीक्षण और कमीशनिंग के बीच निर्बाध अनुकूलता (seamless compatibility) अत्यंत महत्वपूर्ण है।</p> <p>कई वेंडरों के शामिल होने से उत्तरदायित्व में स्पष्टता की कमी (ambiguity), दोष के निदान (fault diagnosis) में कठिनाई, निष्पादन में देरी, और कमीशनिंग एवं भविष्य के रखरखाव के दौरान चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।</p> <p>एकल-विक्रेता (सिंगल-वेंडर) की जिम्मेदारी समान सिस्टम डिज़ाइन, शुरू से अंत तक जवाबदेही, लागू मानकों के अनुपालन और क्लाइंट की ऑपरेशन्स टीम के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करती है।</p> <p>अतः, हम सादर अनुरोध करते हैं कि इस खंड (क्लॉज) की समीक्षा और संशोधन किया जाए, और निविदा (टेंडर) को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में किसी एक ही वेंडर को आवंटित करने पर विचार किया जाए।</p>	<p>अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।</p> <p>बोलीदाता निविदा (टेंडर) की शर्तों के अनुसार अपनी बोली जमा करें।</p>

2	खण्ड सं. 3.18	<p>निविदा दस्तावेज़ में बाय-बैक (buy-back) प्रावधान का उल्लेख है; हालाँकि, वर्तमान प्रणाली का विवरण प्रदान नहीं किया गया है। पुरानी प्रणाली की मेक (कंपनी), मात्रा और स्थिति के संबंध में जानकारी के अभाव में, बाय-बैक मूल्य का मूल्यांकन करना कठिन है।</p> <p>हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया प्रासंगिक विवरण साझा करें या बाय-बैक के दायरे को स्पष्ट करें।</p>	<p>बाय-बैक वस्तुओं के विवरण के लिए बीओक्यू (BOQ) मद संख्या 14 देखें। इसके अलावा, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे दरों को उद्धृत करने से पहले बेहतर स्पष्टता के लिए साइट का दौरा करें।</p>
3	खण्ड सं. 3 & मद सं. 9	<p>तकनीकी विनिर्देश (technical specification) में इन-बिल्ट आइसोलेटर वाले डिटेक्टरों की आवश्यकता बताई गई है, जबकि बीओक्यू (BOQ) में अलग से आइसोलेटर मॉड्यूल भी शामिल किया गया है। हम यह सूचित करना चाहते हैं कि इन-बिल्ट आइसोलेटर या आइसोलेटर बेस वाले डिटेक्टर महंगे होते हैं और किफायती नहीं होते हैं। फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए केवल अलग से आइसोलेटर मॉड्यूल ही पर्याप्त है, और दोनों प्रदान करना तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है।</p> <p>कृपया आवश्यकता को स्पष्ट करें और केवल अलग आइसोलेटर मॉड्यूल निर्दिष्ट करने के लिए क्लॉज (धारा) में संशोधन करें।</p>	<p>बीओक्यू (BOQ) विनिर्देशों के अनुसार इनबिल्ट आइसोलेटर वाले डिटेक्टर और अलग फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। इसलिए, विक्रेता को बीओक्यू के अनुसार ही उद्धरण (कोट) देना होगा।</p>
4	खण्ड सं. 1	<p>तकनीकी विनिर्देश (technical specification) में रिडंडेंट CPU वाले फायर अलार्म पैनल की आवश्यकता है, जो काफी महंगा है।</p> <p>उपरोक्त के आलोक में, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इस क्लॉज (धारा) में संशोधन करें ताकि बिना रिडंडेंट CPU वाले फायर अलार्म पैनल की अनुमति दी जा सके।</p>	<p>कृपया निविदा (टेंडर) के भाग-1 पैरा 7.1 (सी) के बिंदु संख्या 7 को देखें। कृपया निविदा विनिर्देश (tender specification) के अनुसार कार्य करें।</p>
5	आइटम सं 4, 5 & 6	<p>तकनीकी विनिर्देश (Technical Specification) में उल्लेख है कि सिस्टम UL / EN / VdS सूचीबद्ध (listed) होना चाहिए। हालाँकि, BOQ में डिटेक्टर्स को केवल UL / EN सूचीबद्ध ही बताया गया है।</p> <p>कृपया इस विसंगति को स्पष्ट करें या क्लॉज (धारा) में संशोधन करें ताकि सभी लागू मदों के लिए समान रूप से UL / EN / VdS लिस्टिंग निर्दिष्ट की जा सके।</p>	<p>सिस्टम UL / EN / VDS सूचीबद्ध (listed) होना चाहिए।</p>
6	खण्ड सं. 3.12	<p>फर्म ने साइट पर आपूर्ति की गई सामग्री के सापेक्ष समानुपातिक (pro-rata) आधार पर उद्धृत दर का 60%, इसके अतिरिक्त, 30% राशि संस्थापन, परीक्षण एवं कमीशनिंग (ITC) पर, तथा शेष 10% राशि संपूर्ण प्रणाली के सफल हस्तांतरण (handing over) के उपरांत भुगतान करने का प्रस्ताव रखा।</p>	<p>अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया और इसकी सूचना बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दे दी गई।</p>

7	खण्ड सं. 7.12 (i)	फर्म ने प्रस्ताव दिया है कि अलार्म की स्थिति में फायर अलार्म सिस्टम को चलाने वाली बैकअप बैटरी की क्षमता को घटाकर 30 मिनट कर दिया जाए। यह मौजूदा बाजार मानकों के अनुसार है, जहाँ अलार्म की स्थिति के दौरान बैटरी बैकअप केवल 30 मिनट तक ही उपलब्ध होता है।	अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। फर्म को निविदा (टेंडर) की शर्तों के अनुसार उद्धरण (कोट) देना होगा।
8	सेक्षन-IX	फर्म ने कहा है कि बेहतर समाधान के लिए नॉन-वोलाटाइल मेमोरी (non-volatile memory) में न्यूनतम 3000 इवेंट क्षमता की आवश्यकता हो सकती है।	धारा-IX क्र.सं. 1 के अनुसार, इवेंट हिस्ट्री की आवश्यकता न्यूनतम 999 इवेंट्स है; हालाँकि, विक्रेता निर्दिष्ट संख्या से अधिक (बेहतर) इवेंट्स उद्धृत (quote) करने के लिए स्वतंत्र है।

3. फर्मों को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित पात्रता मानदंडों और सभी नियम व शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा, बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर सावधानी से बोली प्रोसैस करनी है और फर्म को एमएसटीसी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। उपर्युक्त ई-निविदा के लिए बोली प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या के मामले में, बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज में दिए गए विवरण के अनुसार एमएसटीसी सहायता कर्मियों से समन्वय करने की सलाह दी गई।
4. उपरोक्त सभी बिंदुओं को संबंधित फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया और उन पर सहमति व्यक्त की गई।

कृपया नोट करें: यह दस्तावेज (बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त एवं शुद्धिपत्र) निविदा (टेंडर) का हिस्सा माना जाएगा। अतः, निविदाकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसे निविदा के साथ जमा किया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित शेष नियम, शर्तें और विनिर्देश यथावत रहेंगे। उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। फर्म द्वारा बोली जमा करने का अर्थ यह माना जाएगा कि वह बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप है। यदि किसी विक्रेता ने इस कार्यवृत्त (Minutes) और शुद्धिपत्र के जारी होने से पहले ही MSTC पोर्टल पर अपनी बोलियां अपलोड कर दी हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियों को संशोधित करें और उन्हें MSTC पोर्टल पर फिर से अपलोड करें।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना